भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1060

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2018/28 अग्रहायण, 1940 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को श्रम संहिता में शामिल किया जाना

1060. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र, सूचना और प्रौद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संबंधी श्रम संहिता दायरे के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारूप संहिता का उद्देश्य 500 लोगों से कम कर्मचारियों को तैनात करने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा निरीक्षण में कमी करना है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शामिल करने को सुनिश्चित करने की क्या योजना है; और

(घ) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं संबंधी श्रम संहिता के दायरे में आने वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग, जिसने जून 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमे यह सिफारिश की थी कि श्रम कानूनों के मौजूदा समूह को व्यापक रूप से कानून के चार या पांच समूहों में समूहीकृत किया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, इस मंत्रालय ने (i) मजदूरी, (ii) औद्योगिक संबंध, (iii) सामाजिक सुरक्षा; और (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं से संबंधित चार श्रम संहिताएं तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया।

तेरह केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत प्रावधानों को आमेलित करने, सरल बनाने और तर्कसंगत बनाने के बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं संबंधी श्रम संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। संहिता की प्रयोज्यता 10 या उससे अधिक कामगारों वाले सभी क्षेत्रों के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। संहिता में 500 से कम कामगारों की तैनाती वाले प्रतिष्ठानों हेतु सुरक्षा निरीक्षण को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं संबंधी श्रम संहिता के प्रारूप का प्रावधान वर्तमान में विधायी-पूर्व चरण में हैं।

*****